was on sentry duty came running to the spot. He also opened fire inside the room as a result of which Shri Jai Mangal Rai was shot.

6. After the incident the companions of Hemant Shahi put him in the gypsy and left towards Muzzaffarpur. Hemant Shahi, MLA who had been injured in the shoot out at Goraul on 28th March, 1992 succumbed to his injuries.

7. The State Government of Bihar in another message dated 31st March, 1992 have intimated that the message of death of Shri Hemant Shahi was received on 30/31.3.92. All concerned districts were alerted immediately to take precautionary measures to maintain law and order and public harmony. At about 9.30 A.M. on 31st March, 1992 when the dead body of Shri Hemant Shahi was kept at Tilak Maidan at Muzaffarpur some anti-social elements burnt the vehicle of S.D.O., Muzaffarpur and two other vehicles. Police took immediate action and situation was controlled. The body of Shri Hemant Shahi was brought to Patna in a vehicle from Muzaffarpur via Lalganj and Vaishali. The State Government have further informed that a few incidents of damage of Government vehicles were also reported from S.K. Puri in Patna town in the forenoon but the situation was brought under control immediately. Preventive measures under section 144 of the Cr. P.C. have been taken and intensive patrolling is being done to maintain law and order. The situation is under close watch.

After that, Madam, the concern of the Central Government about the prevailing law and order situation in Bihar was conveyed to the Chief Minister of Bihar and the Chief Minister of Bihar has agreed to hold a judicial inquiry into this, inquiry into all aspects relating to the incident. The Central Government is very keen to see that proper investigation takes place in this case and the culprits are brought to book at the earliest.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you need clarifications after this?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Madam.

CLARIFICATION ON STATEMENT RE: DEATH OF SHRI HEMANT SHAHI, MLA, BIHAR

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, मंत्री महोदय ने बिहार सरकार से प्राप्त सूचना एक पोस्टमास्टर की तरह पढ़ डाली और वह भी जो सूचना है उसमें इतनी गलतियां हैं कि विश्वास करने योग्य नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): पहले यह पूछ लीजिए कि मंत्री महोदय से सहमत हैं कि नहीं। ये बात पूछ लीजिए कि जो सूचना भेजी गई है उससे मंत्री महोदय सहमत हैं कि नहीं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा महोदया कि केंद्रीय सरकार की अपनी खुफिया एजेंसियां हैं बिहार में, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है इनको? पहली बात जो पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखी है कि "पिछले वर्ष नीलामी श्री रघुनाथ साह के पक्ष में गई थी और इस बार स्थानीय पंचायत के मुखिया रामचन्द्र साह, रघुनाथ साह के बेटे मुन्ना साह को दिलाना चाहते थे," यह सच्चाई से बहुत दूर की बात है क्योंकि महोदया, रघुनाथ साह के भगना हैं रामचन्द्र साह और रामचन्द्र साह और रघुनाथ साह में पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमें चल रहे हैं और एक दूसरे को रोज जेल में बंद करते हैं और उसी पर रघुनाथ साह अभी भी जेल में बंद हैं। उनके बेटे के लिए रामचन्द्र साह पैरवी कैसे कर रहे थे? पहले पैराग्राफ में ये गलती मैं निकालता हूं। सच्चाई से कितनी दूर की बात है।

दूसरे पैराग्राफ में महोदया, ये कहते हैं कि हेमन्त शाही विधायक ने अंचल अधिकारी को अपने गांव बुलाया था और अंचल अधिकारी उनके गांव गए और दो घंटे वहां रहे। महोदया, मैं नवभारत टाइम्स, पटना संस्करण में जो छपा है, जहां लल्लू यादव, मुख्यमंत्री के समक्ष बैठकर वहां के ईख राज्य मंत्री उदय नारायण राय ने 30 तारीख को, उनके साथ लल्लू यादव, उदय नारायण राय, जनता दल, के नेता रघुपति एवं चन्द्रभूषण दुबे चारों ने बैठकर प्रैस कांफ्रेंस करके जो कहा, संयुक्त प्रैस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि विधायक हेमंत शाही को गोली लगने की खबर बेबुनियाद है। हेमंत शाही को गोली लगी ही नहीं। 30 तारीख को कह रहे हैं कि वह ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और नर्सिंग होम में पुलिस के डर से भर्ती हो गए, उनको गोली ही नहीं लगी। यह मुख्यमंत्री के सामने एक जिम्मेदार राज्य मंत्री बयान दे रहा है और उसी में स्वीकार करता है कि घटना के समय उपस्थित कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें बताया कि गुरौल अंचल कार्यालय पर घटना के दिन पूर्वाह्न 10 बजे श्री शाही

आए और अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी से मिले। सुबह 10 बजे और यहां कह रहे हैं कि वे वहां पर अंचलाधिकारी के दफ्तर कभी आए ही नहीं और अपने गांव में बुलाया। बात सच ये है कि ये सुबह आए वहां पर, मिलने आए, वहां का ग्रामसेवक उपस्थित नहीं था जिसके पास सारे कागजात थे, ये वापस चले गए। इनका घर जो 12 किलोमीटर दूर है गुरौल से, वहां पर जाकर अंचलाधिकारी ने उनको अनुरोध किया कि आप कृपया 3-4 बजे आकर हमारे दफ्तर में रहें और एक कप चाय भी हमारे साथ पिएं और जो प्राब्लम है वह साल्व कर दिया जाएगा और उनको बुलाया और बुलाकर अपने दफ्तर के अंदर ये क्रिमिनल बैठाकर रखे हुए थे। महोदया, ये अरुण राय और जयमंगल राय और उसके साथी लोग सब बंदूक लेकर, अस्त्र-शस्त्र लेकर वहां उपस्थित थे और सर्किल आफिस के अंदर जब हेमंत शाही वहां प्रवेश करते हैं तो उन्हें गोली दाग दी जाती है और गोली दाग देने के बाद यहां कहते हैं कि मुठभेड़ में चोट लग गई या गलती से चोट लग गई, उसकी नाल पकड़ी, थप्पड़ मारा, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है यह झूठ का पुलिंदा है जो कि बिहार सरकार ने केंद्रीय सरकार को भेजा है।

महोदया, मेरा सीधा सवाल है, इनका कहना है कि वहां पर नीलामी थी, हाट की नीलामी थी। महोदया, हाट की नीलामी तो 27 तारीख को हो चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा हाटों की नीलामी 27 तारीख को हो चुकी थी और 28 तारीख को सिर्फ 3 जगह की नीलामी थी जिसके बारे में बातचीत चलनी थी और सर्किल आफिसर ने नीलामी, जब कि हरेक राज्य सरकार का निर्देश है कि कहीं भी नीलामी हो, वहां आर्म्ड फोर्स को उपस्थित रखना है। पचास गज दूर है सर्किल आफिस से पुलिस का थाना। उन्होंने क्यों नहीं आर्म्ड फोर्स की रिक्वीजीशन भेजी? महोदया, किन मजबूरियों में अंचलाधिकारी हेमंत शाही को अपने आफिस से दूर 12 किलोमीटर ये रिक्वैस्ट करने गए कि आप मेरे यहां पर आइए चाय पीने के लिए? उपसभापति महोदया, वहां की इंक्वायरी के लिए डी०आई०जी० हैडक्वार्टर को क्यों भेजा गया जब कि वहां पर आई०जी० मुजफ्फरपुर या डी०आई०जी० मुजफ्फरपुर हैं। तो डी०आई०जी० हैडक्वार्टर को क्यों इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया? उसके पीछे क्या तथ्य है?

उपसभापति महोदया, क्या यह एक साधारण सा कोइंसिडेंस है कि ये सर्किल आफिसर राजेन्द्र महतो एक हफ्ते पहले ही बदली होकर वहां आया है और इतनी करामात दिखा गया। उपसभापति महोदया, इस जयमंगल राय के खिलाफ गुरौल थाना में बाई इलेक्शन के दिन 16 नवंबर, 1991 को हेमंत शाही ने पोलिंग के दिन इनके ऊपर गोली चलाई थी और उसकी एफ०आई०आर० रिपोर्ट उन्होंने उसी दिन दर्ज कराई थी इसके खिलाफ और वह वहां पर सर्किल आफिस में बंदूक लेकर मौजूद था। महोदया, शर्म तो इस बात की आती है कि जयमंगल राय जो एक नोन क्रिमिनल है, पचीसों केस उसके ऊपर पैंडिंग थे, उसको बंदूक का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है और 28 जनवरी, 1991 से पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हेमंत शाही जो कि खाली एम०एल०ए० ही नहीं बल्कि एक फोर्मर यूनियन मिनिस्टर के पुत्र भी थे, उनको एक राइफल का लाइसेंस नहीं मिलता है और एक क्रिमिनल को लाइसेंस दिया जाता है और आश्चर्य की बात यह है महोदया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर को बुलाकर वहां इंक्वायरी नहीं कराई जाती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैशाली, ये किसके अंडर में पड़ता है गुरौल थाना, ये जरा बताने की कृपा करें। और तो और आखिर..**(व्यवधान)**

उपसभापति: आप इतनी मालूमात पूछ रहे हैं उन्हें फिर बिहार लिखना पड़ेगा। उन्हें थोड़ी याद होगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: ये तो बताना पड़ेगा सदन को।

THE DEPUTY CHAIRMAN: But, how can he do it because he got all the information from Bihar? You can't ask him so many questions as to who was sitting there, what was happening there because he will have to get it from Bihar.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: इन चीजों को बताना पड़ेगा सदन को। बिहार लिखना पड़ेगा। महोदया, ये अपने से ही कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट लाई गई है यह झूठ का पुलिंदा है और जुडिशियल इंक्वायरी में ये हमें क्या न्याय देंगे? एक 35 साल के नौजवान, हंसते-खेलते नौजवान एम०एल०ए० की निशंक हत्या इस तरह से सरकारी दफ्तर के अंदर की गई है, ये क्या जवाब देंगे और क्या जुडिशियल इंक्वायरी में हमें न्याय देंगे?

महोदया, मैं मांग करता हूं कि सी०बी०आई० के माध्यम से उसकी इंक्वायरी कराएंगे कि नहीं कराएंगे और सी०बी०आई० की इंक्वायरी की घोषणा आज ये करें यहां से कि इस घटना की इंक्वायरी सी०बी०आई० के माध्यम से होगी। धन्यवाद।

उपसभापति: रामनरेश जी आप भी पूछेंगे? Because I have got Mr. Rajni Ranjan Sahu from Bihar.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, एक सवाल मुझे करना है। जिस तरह से यह घटना घटी है और जो विवरण इस वक्तव्य में आया है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारी कथा को एक दूसरी शक्ल दी गई है। जिस तरह से घटना घटी है इसको

बनाकर ऐसा ढांचा खड़ा किया है कि देखकर लगे कि सचमुच में यह घटना इस तरह से हुई है। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से बयान आया है वह बिलकुल झूठा है, मनगढ़ंत है, केवल तथ्यों पर पर्दा डालता है। यह बात पूरे इस वक्तव्य को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाती है।

महोदया, नीलामी का मामला है, दो नीलाम हुए और तीसरी नीलामी से झगड़ा शुरू हुआ। वह उधर जाते हैं, दफ्तर में हाथापाई होती है, फिर गोली चलती है, वहां से 50 गज की दूरी पर गोली चलती है, ये सारी चीजें हुईं। इसलिए ऐसा लगता है कि सचमुच में कहीं पर कोई कानून का राज नहीं है बल्कि जंगल का राज हो गया है। इसलिए जंगल का राज समझ में न आए इसलिए सारे तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। एक बात जरूर है कि सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस घटना के बाद माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई?

दूसरी बात यह है कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम हुए? हुए कि नहीं हुए? अगर नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए? उनको पकड़ने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है? साथ ही साथ जुडिशियल इनक्वायरी की बात हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर जो अधिकारी हैं क्या उनके खिलाफ....

उपसभापति: आप तो एक सवाल पूछ रहे थे। पूरी कहानी मत कहिए। दूसरे लोग भी हैं...

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): अभी माननीय सदस्य का सवाल कहां हुआ?

श्री राम नरेश यादव: मैंने पूछा कि इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं? कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए, कितने लोगों को पकड़ा गया? पकड़े गए कि नहीं? नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए?

आखिरी सवाल यह है कि जुडिशियल इनक्वायरी की बात हुई है तो यह बात साफ है कि वहां का प्रशासन बिल्कुल निकम्मा साबित हो गया है। इसलिए जो वहां के अधिकारी हैं उनको निलंबित करके ही यह जुडिशल इनक्वायरी होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी को चाहिए कि वह सी०बी०आई० की इनक्वायरी कराएं ताकि सारा मामला सामने आ सके।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): उपसभापति महोदया, मैं इस घटना पर बोलता नहीं। लेकिन जिस ढंग से इस घटना को सदन में पेश किया जा रहा है केन्द्र के शासक दल द्वारा, उससे मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। यह बात मैं मानता हूं कि जहां कहीं भी हत्या हो, चाहे विधायक की हो या किसी की हत्या हो, सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन आज बिहार में ऐसी स्थिति है कि पिछले 25 वर्षों में जो स्थिति है उसमें मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। शाही जी की जो हत्या हुई है यह दुखद है और मैं खेद प्रकट करता हूं और सभी को करना चाहिए। लेकिन बिहार में दस विधायकों की हत्या हुई है। श्री केदार नाथ पांडे जी के राज में श्री जगदेव प्रसाद की हत्या हुई। केदारनाथ पांडे जी के राज में ही सूरजनारायण की हत्या हुई जो महान सोशलिस्ट नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे। जगन्नाथ मिश्र जी के राज में रामदेव सिंह की हत्या हुई। जगन्नाथ मिश्र जी के राज में मंसूर हसन की हत्या हुई। बिन्देश्वरी दुबे जी के राज में वीर बहादुर सिंह की हत्या हुई और बिंदेश्वरी दुबे के राज में ही वीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई, सत्येन्द्र नारायण जी के राज में त्रिलोकी सिंह की हत्या हुई। भगवत झा आजाद के राज में राम नगीना राय की हत्या हुई। कर्पूरी ठाकुर के राज में सीता राम की हत्या हुई। जगन्नाथ मिश्र जी के राज में एम०पी० शर्मा जो गोपालगंज में क्लेक्टर थे उनकी आफिस में ही हत्या हुई। **(व्यवधान)** वहां की जो स्थिति है...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: यह जस्टीफाई कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: मैं जो बात कह रहा हूं वह सूबे की जो स्थिति है...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: क्लेरिफिकेशन पूछ रहे हैं या जस्टिफाई कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। जरा भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: वहां अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने मार खाते-खाते हड्डियां तुड़वाई हैं। जेलों में 6-6, 7-7 साल रहे हैं। इस बात को मैं नहीं बता रहा हूं। मैंने कहा कि यह निन्दनीय घटना है। लेकिन बिहार की जो स्थिति हो गई है उसमें इस तरह की घटना घट रही है। हर सरकार जवाबदेही है। आज तक दिल्ली में कभी कांग्रेसियों ने जिनकी हत्या हुई उनके नाम तक नहीं गिनाये। यहां संसद में बिहार के किसी विधायक की हत्या...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: यहां संसद में चर्चा हुई है। डिबेट उठाकर देख लीजिए जब भी ऐसी कोई घटना घटी है उस पर यहां संसद में चर्चा चली है। **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: वहां जो सामाजिक तनाव है उस स्थिति में ऐसी घटना घट जाती है। कब घट जाती है, किस के ऊपर घट जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा डी०एम० की हत्या हुई। इस घटना पर पेट किया जा रहा है। **(व्यवधान)** इसमें दोनों ओर से

गोलियां चलीं। एक ओर से गोली नहीं चली। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: आप खड़े थे क्या वहां? **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: दोनों तरफ से गोली चली। मार-पीट जब होती है, हम एक तमाचा मारेंगे तो...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: एक को लाइसेंस देंगे और दूसरे को नहीं देंगे तो क्या होगा? **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: वहां पर यह है आप एक गोली मारेंगे तो हम तीन गोली मारेंगे **(व्यवधान)** मार-पीट जब हो जायेगी...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): How many unlicensed guns are you having?

श्री यशवन्त सिन्हा (बिहार): आप मत घुसो बिहारियों के बीच में।

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am telling Mr. Narayanasamy not to entangle between two Biharis.

श्री राम अवधेश सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी को यह मालूम है कि शाही जी पिछले चुनाव में मर्डर के दोषी हैं और अभी एंटीसिपेटरी बेल पर थे। उनके दुश्मन कितने हैं यह आपको मालूम है? यह बात नहीं है कि वह बिल्कुल साधु थे और उनको कोई माला पहनाने वाला था। **(व्यवधान)** वह दूसरे को मारते थे और दूसरे लोग उनकी ताक में थे। **(व्यवधान)**

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार): साधु कोई नहीं है दुनिया में **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह: वहां की जो स्थिति है वह मैं बता रहा हूं। हम कोशिश करते रहे कि इसको दबाने का काम हिंसा से न हो। वहां पिछड़ों में, हरिजनों में और आदिवासियों में जागरण आया है और वह जागरण यह है कि हम भी राजसत्ता में हिस्सेदार हों, हमको भी ठेकेदारी मिलनी चाहिए। पहले ठेकेदारी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होती थी। ऊंची जाति के लोग ठेकेदार होते थे। अब पिछड़ी जाति के लोग कहते हैं कि हमें भी ठेकेदारी मिलनी चाहिए...**(व्यवधान)**। हकीकत यही है कि ठेकेदारी की वजह से यह हो रहा है। पहले ठेकेदार कौन-कौन लोग होते थे?

श्रीमती प्रतिभा सिंह: पिछड़ी जाति के लोग भी होते थे और ऊंची जाति के लोग भी होते थे, यह रिकार्ड पर है।

श्री राम अवधेश सिंह: यह ठेकेदारी की लड़ाई है और ठेकेदारी की लड़ाई में क्रिमिनल्स आ गये हैं। हमारे यहां पिछड़ी जाति के लोग भी क्रिमिनल्स हैं और ऊंची जाति के लोग भी क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हर सरकार ने उनको प्रोटेक्शन दिया। लालू सरकार ने भी प्रोटेक्शन दिया, पिछली सरकारों ने भी दिया। लालू सरकार दूध की धोई है, ऐसा मैं नहीं कहता। हकीकत यह है कि लालू सरकार में भी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन मिला है,। पहले की सरकारों ने भी दिया है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर सामाजिक तनाव है...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: हकीकत यह है कि ये रंजन यादव से डर रहे हैं। रंजन यादव लालू यादव का क्लास फैलो है।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं तो निरपेक्ष होकर बोलूंगा। मैं कहता हूं कि मैं आपके दिखाने से या इनके दिखाने से बोलने वाला नहीं हूं। वहां जो हकीकत है, मैं वही कहूंगा। वहां कई कोनों में इस प्रकार की स्थिति है कि कहने में शर्म आती है। गांवों में दबे, कुचले हरिजनों की यह स्थिति है कि उनकी बहू-बेटियों के साथ जो सलूक किया जाता है वह वर्णन करने लायक नहीं है। अब धीरे धीरे उनमें जागृति बढ़ रही है। वे ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर उठने पर कोई उनको दबाना चाहता है और हिंसा से दबाना चाहता है तो हिंसा होती है। हिंसा से अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो हिंसा ही होगी। इसलिए यह सामाजिक बदलाव की स्थिति है। परिवर्तन में यह होना अवश्यंभावी है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो...**(व्यवधान)**। सी०बी०आई० से हो नहीं सी०बी०आई० के बाप से जांच कराई जाये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जांच हो और जो दोषी है उनको सामने लाया जाये। लेकिन आप तो स्थिति को एक तरफा पैंट करते हैं। एकतरफ के लोग कहते हैं कि कंट्रैक्ट को रद्द किया जाये और दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि कंट्रेक्ट लेंगे। इसमें क्रिमिनल्स भी शामिल हो गये। दोनों तरफ से गोलियां चलीं जिसमें दोनों तरफ के लोग मारे गये। उधर से जो लोग मरे उसमें एक विधायक भी था। दूसरी तरफ के तीन आदमी मरे। दूसरी तरफ के जो लोग मारे गये उनमें साधारण आदमी थे और एक मुखिया भी था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी कड़ाई से जांच हो और क्रिमिनल्स को पकड़ा जाये, उनको सजा दी जाये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: उपसभापति महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। गृह मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए कहा जा रहा है कि उसमें एक तरफा रिपोर्ट है और इसको एक तरफा पैन्ट किया गया है। इस घटना को गैंगवार बताया गया है। हकीकत यह नहीं है क्योंकि हमें मालूम नहीं है

कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए मेरे कुछ प्रश्न हैं।

उपसभापति महोदया, मैं गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि सी०ओ० साहब 28 मार्च को हेमंत शाही के गांव गये थे और उन्हें निमंत्रण दिया और यह भी कहा कि हमें कुछ समस्याओं पर बात करनी है। आप हमारे पास चाय पीने आवें और साथ ही कुछ समस्याओं पर चर्चा होगी?

दूसरा मेरा सवाल है कि सिर्फ 50 यार्ड वहां से थाना है। जब यह घटना हुई तो क्या सी०ओ० साहब ने कोई एफ०आई०आर० लिखवायी? इस से संबंधित उस थाने में कोई एफ०आई०आर० दर्ज हुआ या नहीं हुआ?

तीसरा मेरा प्रश्न है कि यह जो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से गोली चली तो क्या हेमन्त शाही ने गोली चलायी? मेरा यह भी प्रश्न है...

उपसभापतिः दोनों तरफ से गोली चली स्टेटमेंट में है उनका जो...

श्रीमती प्रतिभा सिंहः जी नहीं। दोनों तरफ से गोलियों की बात कहते हैं लेकिन हेमंत साही के पास हथियार नहीं थे।

उनको गोली लग गई और उसके बाद पुलिस की गोली से कुछ लोग घायल हुए। सरकार पुलिस के लोगों को निलम्बित करे। उन्हें फौरन निकाल देना चाहिये तथा उनकी...

श्री एस० जयपाल रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश): मैडम,...

उपसभापतिः इसके बाद मैं आप ही को बुला रही हूं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: I respect our senior Member. But I would like to tell her the statement of the Government says that Hemant Shahi was wounded, was taken away. it is his bodyguards who opened fire. The statement does not say fire was opened by we slain legislators.

श्रीमती प्रतिभा सिंहः क्या जयमंगल राय जो बंदूक लेकर गया था और जिसको गोली लगी तो उनके ऊपर कुर्दी और वैशाली में क्रिमिनल केसेज थे? क्या यह सही है कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी पर्सनल सेक्युरिटी के लिये वैशाली थाने को कहा था और वहां जो इंसपेक्टर था उन्होंने कहा कि जब तक ये बेल नहीं लेंगे—ये कई केसेज में वांटेड है—तो इसलिये यह जब तक बेल नहीं लेंगे उनको सेक्युरिटी नहीं दी जा सकती?

जनवरी 1992 में बनहारा ग्राम दलसिंह सराय की मीटिंग में मुख्य मंत्री ने कहा था कि वैशाली में एक अभिमन्यु पैदा हुआ है और आप जानते हैं कि अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में फंसाया गया था?

क्या यह सही है कि जयमंगल राय के शव पर सी०एम० ने फूलमाला चढ़ाई और गोरौल चौक को जयमंगल चौक नाम रखा, जब कि पटना में उन्होंने प्रेस वालों को कहा था कि मैं हेमंत साही को देखने मुजफ्फरपुर नर्सिंग होम जा रहा हूं। वहां न जाकर उन्होंने जयमंगल राय के शव पर फूल माला चढ़ाई, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि यह मर्डर हुआ है और मैडम, इसमें एक आदमी, एक नौजवान मारा गया है। उसकी कम उम्र पत्नी तीन दिन से बेहोश है। इसलिये मेरा यह प्रश्न है? वहां जाइये और देखिये तब आपको फीलिंग होगी। अगर हममें से किसी का बेटा मारा जाता तो सोचिये क्या फीलिंग होती।

हेमंत साही ने रिवाल्वर का लाइसेंस मांगा था। उस अप्लीकेशंस की कापी मेरे पास है, तो एम०एल०ए० होते हुए भी उनको यह लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन जयमंगल राय को विदआउट प्रापर वेरीफिकेशन के दे दिया। तो ये सारी बातें क्यों हुई यह मैं जानना चाहती हूं? यह कहा गया है कि वहां पर सामाजिक तनाव है, सामाजिक बातें हैं। मैडम, मैं यह पूछना चाहती हूं कि बारा में जो मारे गये वे भी किसी जाति विशेष के थे, उसके बाद उसी जाति का हेमंत साही मारा गया। तो अगर ये बातें चलें और जाति के नाम पर लड़ाई हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैंने न जाति की सोची है और न इस बारे में आगे सोचूंगी और न मेरे परिवार वाले सोचेंगे। इसीलिये मैंने इस बात का विरोध किया।

10.00 P.M.

मेले का ठेका और लोग भी लेते थे और हम लोगों के यहां यादव लेते थे, कुर्मी लेते थे और दूसरी जाति के लोग लेते थे। हमेशा कोई बड़ी जाति के लोग ही नहीं लेते थे। सब मिलजुलकर लेते थे। इसलिये गलत प्रचार के साथ, हेमंत साही की जो घटना हुई है इसको डाइल्यूट करके इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। मुझे इसका विरोध है। इसलिये मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री महोदय इसकी सी०बी०आई० से जांच करायें क्योंकि बाकी जो इन्क्वायरी होगी उसमें दो-चार साल लग जायेंगे और सारा मामला दबा दिया जायेगा, दबका दिया जायेगा और फिर न जाने कितने और नौजवान एम०एल०एज० को ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना इमोशनल हूं और इसके अंदर अपने को इन्वाल्व फील कर रही हूं वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी लालू प्रसाद यादव से कोई जान-पहचान नहीं है। लेकिन सवाल है और मुझे विरोधी दल के लोगों से पूछना है कि अगर वे अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहें कि इन सारी बातों को जानकर क्या आप इसको सही समझेंगे? मेरा यह प्रश्न है। एल०पी० साही कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसकी वजह से मैं यह नहीं पूछ रही हूं। मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रही हूं कि उनको बुला कर लाया गया और वे निहत्थे आये, ये उनके कमरे में घुसे और वहां क्लोज रेंज से उन पर गोली

चलाई गई जिससे उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े, पच्चे-पच्चे हो गये। इस तरह की घटना के खिलाफ, इस तरह की हिंसा के खिलाफ मेरा यह कहना है और इसलिये मैं चाहूंगी कि आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिये सी०बी०आई० की इन्क्वायरी हो, और कोई भी, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो उसको सजा मिले। यह न हो कि कोई बड़ा आदमी है, पोलिटिक्स उसके पक्ष में है तो हम उसको सील्ड करें। आज यह उनके साथ हुआ है, कल हम में से किसी के बेटे के साथ हो सकता है, किसी एम०एल०ए० और एम०पी० के साथ हो सकता है। मैं सुबह से बैठी हूं। बिहार के इस घटना के बारे में कहने के लिये मैं आठ घंटे से यहां बैठी हूं। आपने मुझे आज इमोशनल देखा वरना मैं कभी भी किसी बात में, मैं बड़ी सीनियर मेंबर हूं, मैं यहां तीस साल से हूं कभी भी आप लोगों ने मुझे ऐसा नहीं देखा होगा जो मैं इस तरह से जजबाती कभी हुई हूं। मैं यह मानती हूं कि सरकार की नीतियों के आधार पर जनता में चुनाव जीतकर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है। सवाल इसका है जिस ढंग से यह किया गया है। इससे दो महीने पहले मुख्य मंत्री ने कहा था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसेगा और वही बात हुई। वह वहां आर्म लेकर नहीं गया था। ये लोग आर्म लेकर सी० ओ० के कमरे में पहुंचे। मेरा दिल इस घटना से परेशान है। मैं अपने भाइयों से भी बार-बार कहूंगी कि वे भी इसका विरोध करें और सी०बी०आई० इन्क्वायरी की मांग करें ताकि जो कोई भी कल्प्रिट हो उसे सजा हो। जो कोई भी कल्प्रिट हो उसको सजा जरूर होनी चाहिये। इसलिये इस बारे में मैं गृह मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि किसी और तरह की इन्क्वायरी से बिहार की जनता को संतोष नहीं होगा। जब तक सेंटर अच्छी तरह से सी०बी०आई० की इन्क्वायरी नहीं कराता तब तक बिहार की जनता को सन्तोष नहीं होगा। जूडीशियल इन्क्वायरी में क्या होता है, यह हम सब जानते हैं? हम लोगों ने यह देखा नहीं है क्या? क्या हम लोग पोलिटिकल लोग नहीं हैं? हम लोगों ने सब कुछ देखा है। यह कहना कि फलां मरा, उस समय क्यों नहीं हुआ? इस हाउस में क्यों बात नहीं उठी? जनसंघ के चौधरी जी मरे थे, तब भी यह बात उठी थी कि जो उनको मारा गया है उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। जनसंघ के थे लेकिन श्रेष्ठ आदमी थे, वे किसी का बुरा नहीं चाहते थे। इसलिये मेरा कहना है कि सी०बी०आई० की इन्क्वायरी हो। आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

उपसभापति: प्रतिभा जी के बोलने के बाद किसी को इस पर कुछ बोलने के लिये रहा नहीं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Okay, I am an accused. I will speak towards the end आप एक्यूज्ड थोड़े है, आपने गोली थोड़ी मारी है।

She is only asking you to help in finding out who the culprits are.

I don't think there is any more clarification. My understanding is that the Minister, whatever information, he has given. Now his answer will be: I will find out and let you know. The only thing which he can commit is whether he is going to have a CBI inquiry or he is not going to have CBI inquiry.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU (Bihar): Madam, I am very near to that place. It is only 20 km. from my place. I would like to ask only one clarification.

Madam, with a very heavy heart, I am asking a simple clarification about the heinous and shameful incident which took place in Bihar, more so 20 km. away from my town. Only 20 km. from my town. And that too in Vaishali which once upon a time was a place of democracy, first democracy.

Madam, I am surprised about the statement. It does not say anywhere that it was a pre-planned conspiracy to kill Shri Hemant Shahi. Madam,....

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is very funny? How can the statement say that?

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: The hon. Minister should at least give the correct information to the House.

SHRI V. NARAYANASAMY: Whatever he gathered, he has given.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: He should get it clarified through his own agency. But he has not done so. There are serious suspicions about the officers being accomplices to the conspiracy. Madam, a Government officer is right in his office and a people's representative is killed. It is never heard. My friend has given some names of MLAs who were killed earlier. But there is a difference. They have not been killed in a Government office or in a Government compound. They had been killed somewhere else—at residence, somewhere on the road or in some jungle. So there cannot be a comparison. And this does not justify this incident.

This murder took place in the

presence of C.O. He is an eye-witness. As my senior and learned colleague asked, whether the C.O. has filed an FIR or not or whether anybody stopped the Circle Officer from lodging the FIR. Secondly,...*(Time Bell rings)*

Secondly, whether the officer in charge has been suspended or not for lack of perception, because the place was very near to P.S. and he should have apprehended this danger.

Only on these two points I would like to have clarifications from the hon. Home Minister.

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदया, मैं पिछले कई दिनों से लगातार गृह मंत्री जी के बयान इस सदन में पढ़ रहा हूं और सुन रहा हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी को कोई बयान देने की जरूरत इस सदन में नहीं है। बेहतर तो यह हो कि यहां से हम लोग मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर पूछ लिया करें कि घटनाएं क्या हुई और उसका जवाब वहां से सीधे आ जाए। गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी तो यह थी कि वस्तुस्थिति का सही जायजा लेकर, पता करके सदन को बताया करें। लेकिन पिछली कुछ घटनाओं में जो अयोध्या में हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेज देती है गृह मंत्री जी उस बयान को यहां पढ़ देते हैं। इतना गम्भीर मामला था, पिछले तीन चार दिनों से रोजाना इस सदन में बहस हो रही है लेकिन अभी माहौल को देखकर मुझे ऐसा लगा या तो गृह मंत्री जी असहाय हैं या कुछ करना नहीं चाहते। अब हकीकत क्या है यह इस बयानबाजी से ही आपको पता लग जाएगा मोहतरिम सदर साहिबा कि क्या गृह मंत्री बोल रहे हैं इस बयान में राज्य सरकार के बारे में और ये खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या यह बयान सही है या गलत। मैं तो सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार के इस बयान पर भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो बातें कही गयी हैं वे सही हैं। अगर सही हैं तब तो मैं कुछ क्लैरीफिकेशन आपसे पूछूं। अगर आप खुद ऐसा काम करेंगे क्योंकि आज सदन में आपको पता ही नहीं है कि गुरोल वैशाली से कितनी किलोमीटर दूरी पर है.....

तो मैं आपसे कोई बात पूछ कर न इस मर्यादित सदन का कोई समय बर्बाद करना चाहता हूं, न खुद मैं अपने को मखौल का पात्र बनाना चाहता हूं।

इसलिए मै आपसे नम्र-निवेदन करता हूं कि आगे से जब गृह मंत्री सदन में बयान दें, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस बयान को पढ़ें और जब मैं जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो इसका एक ही मतलब होता है कि बयान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। आज गृह मंत्री इस बयान की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हैं।

प्रतिभा जी, आपने जिस तरीके से पूरी बातों को सदन में रखा, हर आदमी उससे सहमत है, लेकिन क्या आपकी सरकार की गृह मंत्री आपसे सहमत हैं, जिस तरह से आप अपनी बातें रख रही हैं। यह सदन का मज़ाक बनाया जा रहा है।

इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसके एक-एक पैरा, एक-एक लाईन में ऐसी बातें कही गई हैं, जिसका कोई तालमेल ऊपर से नीचे बनता ही नहीं है और यह भी याद नहीं है कि कौन था, इनका वहां पर क्या मतलब था, यह डबल बैरल गन वहां क्यों गया, थाना बगल में है।

भारत सरकार का गृह मंत्री बयान तो ऐसा लिख रहा है जैसे कांस्टेबल का बयान हो पूरे जब तीन-चार दिन घटना घटे हो गए, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी पकड़ा नहीं गया, चाहे हेमन्त शाही गुनाहगार था, तो उनके लोगों को पकड़ा जाता। दूसरे पक्ष के लोग गुनाहगार थे, तो उनको पकड़ा जाता। कहीं यह काम हुआ नहीं। बयान सदन के सामने रख दिया गया।

पूरे देश को पता है कि पिछले पांच दिनों से गृह मंत्री सदन में बयान देने को आ रहे है और बयान यह है कि जो आपके सामने है।

इसलिए मैं बिना कोई क्लैरिफिकेशन पूछे, आगे से आपसे यह दर्खास्त करूंगा कि आप ऐसा निर्देश भारत सरकार को दें कि जब भी बयान तैयार हो, तो कायदे से तैयार हो और विश्वास के साथ तैयार हो और पूरी रक्षा के जो बातें कहनी हों, आपने बिलकुल सही कहा, अहलुवालिया साहब ने जितने सवाल इनसे पूछे, उनका जवाब यह दे ही नहीं सकते। वह जानते ही नहीं की घटना कहां घटी है। वह तो डाकिये का काम किये हैं। जो राज्य सरकार से मंत्री ने बना कर भेजा है, वहां के होम विभाग ने भेजा है, उसको यहां पढ़ दिया।

इसलिए मैं फिर अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मामले की पूरी छानबीन हो। इसको कोई भावनात्मक रूप न दिया जाए, इसको राजनीतिक रूप भी न दिया जाए। बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, लालू सरकार तो उसकी आखिरी परिणति नहीं है। मैं अकेले लालू सरकार को इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं।

मैं चाहता हूं कि लालू सरकार चली जाए, लेकिन मैं उसको अकेले जिम्मेदार नहीं मान रहा हूं। यह घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों से घटता चला आ रहा है और उसकी आखिरी कड़ी अगर यह सरकार है, तो यह आखिरी कड़ी हेमन्त शाही के रूप में हमारे सामने नजर आई है। इसलिए इसको गंभीरता से केन्द्र सरकार ले।

भारत के संविधान में कुछ जिम्मेदारी भारत की सरकार के ऊपर है। यह देश एक रहे, इसकी जिम्मेदारी बिहार की सरकार पर नहीं है। बिहार के लोग भाग कर दूसरी जगह जा रहे हैं, यह सिर्फ बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, भारत की सरकार की जिम्मेदारी है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरा ब्यौरा, अपनी एजेंसियों के द्वारा, चाहे वह सी०बी०आई०, चाहे और एजेंसियां उनके पास हों, उनको लेकर आप एक ब्यौरा देते, तो हम लोग आज विश्वास के साथ इस सदन से उठ कर जाते और तभी कोई माने निकलते।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ भीम अफज़ल (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहिबा, मैंने इस मसले को पहले भी उठाया था। दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत ही बुनियादी बात उठाई है। देखिये, मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, दोनों अपनी-अपनी जगह काम करती हैं। मरकज़ पूरे मुल्क में अपनी एजेंसीज़ के थ्रू काम कर रहा है और सूबाई हुकूमत सूबे के अंदर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू काम कर रही है।

उस दिन जो अयोध्या के सिलसिले में बयान आया था, तब भी मोहतरम वजीरे दाखिला ने जो बयान यहां पढ़ा था, उस वक्त भी यह शोर मचा था और यही बात उठाई गई थी कि क्या वह इस बयान की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हैं। उन्होंने उस वक्त इस बात को टाला और जब क्लैरिफिकेशन मांग लिये गये, तो उसके बाद वजीरे दाखिला ने जो बयान दिया, उसका जवाब जो कुछ भी दिया, उससे ऐसा जाहिर होता है कि जो बयान पहले उन्होंने पढ़ कर सुनाया था, वह उससे बिलकुल सहमत नहीं थे, बल्कि उन्होंने बिलकुल उसका उलटा एक वर्शन दिया, जिससे अखबारों में जो रिपोर्ट आई, वह सब के सामने है।

मैडम, मेरा कहना यह है कि उसी दिन मैंने यह सवाल उठाया था और उस पर वजीरे दाखिला ने कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज़ जो हैं, उनकी रिपोर्ट को हम सदन में नहीं रख सकते। यह मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर पूरा सदन उनसे कहे, तो मैं फिर तैयार हूं। मैं समझता हूं कि उनकी बात बड़ी हद तक जायज़ है।

लेकिन सवाल यह है कि जब स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, तो कम से कम गृह मंत्री को यह तो चाहिए कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ की रिपोर्ट है, उन दोनों रिपोर्ट्स को मिला कर देखा जाए। अगर कहीं कंट्राडिक्शन है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए।

दिग्विजय सिंह साहब की बात यह है कि सदन के सामने जो भी चीज आये, वह पूरी जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिर में गृह मंत्री कह दें कि यह तो स्टेट का बयान है, सूबाई सरकार का बयान है, इस पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और वही बात है, यह तो डाक की बात हो गई। जैसा कि अभी अहलुवालिया जी ने कहा कि आप, डाक आती है और यह पढ़ देते हैं। यह बड़ा अहम मसला है और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत संजीदगी से गौर होना चाहिए और यह तरीका मेरा ख्याल है कि खत्म होना चाहिए वरना इसका मकसदन कुछ नहीं है। इससे कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला है। हम लोग इधर-उधर ही भटकते रह जाते हैं।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार): माननीय उपसभापति महोदया, आज एक विधायक की हत्या के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत दुखद विषय है और मेरे कई मित्रों ने बहुत सारे तथ्यों के लिए गृह मंत्री से जानकारी मांगी है। मैं दो-तीन जानकारियां और थोड़ी सी उनसे चाहूंगा। पूछा गया कि एफ०आई०आर० लिखा दिया, किसने लिखाया, कब लिखा गया थाना जब 50 गज पर था तो घटना जब दोपहर को चार बजे हुई है तो एफ०आई०आर० कितनी देर में लिखा गया? यह बड़ी छोटी सी घटना है। मेरी जानकारी के हिसाब से एफ०आई०आर० शाम को 6.00 बजे लिखा गया और दूसरी एफ०आई०आर० उसको बदल करके सवेरे 6.00 बजे लिखा गया। उसको बदला गया है, यह मेरी जानकारी है और मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। दूसरा, जो प्रश्न और लोगों ने पूछ लिए उनको मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। एफ०आई०आर० के साथ-साथ जो अन्य तीन लोग मारे गए, उनकी वहां मौजूदगी के क्या कारण थे? वे वहां क्यों आए थे और किस प्रकार से आए थे, यह भी एक जानने का विषय है? इसके आगे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मित्र राम अवधेश जी ने बहुत सारी हत्याएं एम०एल०एज़ की गिना दीं तो बिहार का श्रीगणेश तो केन्द्र के मंत्री से ही हुआ है। उनके मंच के नीचे बम विस्फोट हुआ था जनवरी 1975 में, ललित नारायण मिश्र, जो बिहार के एक गण्यमान्य यहां के हमारे मिनिस्टर थे और उस पर क्या-क्या कार्यवाही सैन्टर ने की थी, जरा याद कर लें? कितनी इन्क्वायरी की थी, नहीं की थी, वह उसको करें और उस दिन से राजनीतिक हत्याओं का जो सिलसिला चल रहा है, बराबर बढ़ा है। कुछ वर्णन दूं मैं, परन्तु इसका जो स्वरुप पिछले दो सालों की सरकार के राज्य में आया है वह इतना भयानक है कि वर्णन करते हुए हमारी रूह कांपती है। पिछले दो वर्षों में 37 भीषण नरसंहार हुए हैं जिसमें हरिजन मारे गए हैं, कुर्मी मारे गए हैं, यादव मारे गए हैं, राजपूत मारे गए हैं, भूमिहार मारे गए हैं, पठान मारे गए हैं। जो गांव में रहता है, एक-दूसरे को मार रहा है और मारे जाने वालों में अधिकांश गरीब आदमी मारे गए हैं, किसी भी जाति का बहुत बढ़ा आदमी शायद इनमें नहीं है। दूसरे

इन 37 घटनाओं के बाद जो इस प्रकार से ला एंड आर्डर मशीनरी वहां चली है, हत्यारे पकड़े नहीं गए, किसी का मुकदमा नहीं चला, आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, मुकदमे नहीं चले। मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी जरा हम लोगों के सामने तथ्य रखें कि उसमें कितने अभी नेम्ड क्रिमिनल्ज़ पकड़े गए? उन पर मुकदमे चल रहे हैं या नहीं चल रहे है? उनमें किसी पर आज तक फैसला हुआ या नहीं हुआ ये कुछ प्रश्नवाचक हैं? उसके आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उपसभापति महोदया, कि केवल ये 37 नरसंहार ही बिहार में नहीं हुए है, अराजकता का वातावरण है, लूट-पाट फिरौती की घटनाएं चाहे जिसको उठा लो और ले जाओ। आंकड़े जो अखबारों में निकल रहे हैं लगभग 10 हजार अपहरण की घटनाएं की गई और उसके बारे में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वक्तव्य, हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि पैसा ही तो ले लिया, जान से तो नहीं मारा। 37 नरसंहारों में कितने लोग मारे गए, वह भूल जाइये, इक्का-दुक्का करके कम से कम 8000 मर्डर्ज़ बिहार में पिछले दो वर्ष में हो चुके हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि उसमें कितने लोग पकड़े गए? महोदया, वहां वातावरण बहुत विषाक्त हो गया है। आज जो भी दल वहां सत्ता में है, उसके विपरीत जो भी वहां दल हैं, उनमें से किसके नेता, एम०एल०ए० का, एम०पी० का, कार्यकर्ता का जीवन सुरक्षित है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है और यह प्रश्नवाचक चिन्ह देश के लिए बहुत घातक है। अभी मजाक में, हंसते हुए हमारे माननीय जयपाल रेड्डी जी कह रहे थे कि अगर बिहार ऐसा ही है तो उसे निकाल दिया जाए, देश से अलग कर दिया जाए। उपसभापति महोदया, बिहार भारत की 15 प्रतिशत जनसंख्या का प्रदेश है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है। अगर हृदय स्थल नहीं है तो वक्षस्थल और पेट तो है ही अगर उसके अंदर इस प्रकार से कैंसर बढ़ता रहा तो वह सारे देश को खाए बिना छोड़ेगा नहीं और मैं बहुत विनम्रता से, बहुत मकलीफ से आपसे कहना चाहता हूं कि जो क्रिमिनलायजेशन आॅफ पॉलिटिक्स बिहार में आज से 12 साल पहले शुरू हुआ, आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के कोने-कोने तक फैलता चला जा रहा है। यह एक नैक्सस बन गया है पॉलिटिकल लीडरशिप एंड क्रिमिनल्स का। फिर उसके साथ माफिया गैंग्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। यह सब दलों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि किधर हम राजनीति को ले जा रहे हैं और बिहार में इसका स्वरूप सबसे भयानक इसलिए है कि उसके साथ जातिवाद जुड़ गया है। बैकवर्डिज्म और फारवर्डिज्म जुड़ गया है। मुसलमान और गैर-मुसलमान जुड़ गया है। यह सबसे भयानक बात है इस प्रकार से यह एक कम्युनलिज्म आॅफ द वर्स्ट टाइप हो गया है। इस वर्स्ट टाइप आॅफ क्रिमिनलाइजेशन के आधार पर जो राजनीति चल रही है, यह देश के लिए बहुत खतरनाक मोड़ है। उपसभापति महोदया हम अयोध्या की चर्चा करते हैं। हिंदु-मुसलमान का जिक्र आता है। मैं उसका पक्षधर नहीं हूं कि हिंदू-मुसलमान में टेंशन हो, परन्तु वहां तो अपर-कास्ट, लोअर कास्ट, हरिजन व नान हरिजन यह है। इसलिए, उपसभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितने नर-संहार हुए हैं, ये वेस्ट आॅफ मायनालेज, ये जातिवाद के क्रिमिनल गैंग्स द्वारा किए गए हैं। ये पासियों का गैंग है, ये हरिजनों का गैंग है, ये राजपूतों का गैंग है, ये भूमिहारों का गैंग है, ये यादवों का गैंग है—सब के क्रिमिनल गैंग्स हैं। हर जाति के क्रिमिनल गैंग्स हैं। उनकी एक अलग जाति है जो कि सब को मारते हैं। उन्होंने सारे बिहार को लहू-लूहान कर के रख दिया है।

अंततोगत्वा उपसभापति महोदया, वहां वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि हमारे मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के एक मंत्री राष्ट्रपति जी को लिखते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि वहां एक डी०एम० है जिनके कि क्षेत्र से गैर रूलिंग पार्टी का एम०पी० चुन लिया गया और इसलिए उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद उनकी जान खतरे में है।

एक दूसरी घटना है, हमारे ही एक सांसद भाई कमिश्नर के आफिस में जाते हैं। वहां कमिश्नर से कहा-सुनी पर मारपीट हो जाती है। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। वहां पिछले 10-15 दिनों में दो-तीन आइ०ए०एस० आॅफिसर्स से स्टेटमेंट देकर इस्तीफे दिए हैं, वह वास्तव में पीड़ाजनक है। प्रमोशन न लेकर इस्तीफा दे रहा है आइ०ए०एस० आॅफिसर्स। उपसभापति महोदया, आइ०ए०एस० की एक कविटेड पोस्ट होती है। उस पर से वह इस्तीफा दे रहा है और इस प्रकार से वहां एक भयंकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have another statement and a Half-an-Hour Discussion.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Half-an-Hour Discussion?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. The Minister is sitting here. And Special Mentions are there. I have got 19 Special Mentions.

श्री अश्विनी कुमार: उपसभापति महोदया, मैं अंतिम वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त कर दूं। इस सारे वर्णन के पीछे मेरा एक नम्र निवेदन है कि सी०बी०आई० की इंक्वायरी का एक नियम है कि जब तक बिहार सरकार नहीं कहेगी, केन्द्रीय सरकार सी०बी०आई० इंक्वायरी नहीं

करा सकती।

उपसभापति: आपने बड़ा लंबा भाषण कर दिया, अब बैठिए।

श्री अश्विनी कुमार: महोदया, मेरी मांग तो सुन लीजिए।

उपसभापति: आपकी मांग सुन ली।

श्री अश्विनी कुमार: मैं सी०बी०आई० की बात कह रहा था। महोदया, मेरा कहना यह है कि जैसे इन्होंने अयोध्या के लिए एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजा है, उसी तरह आप वहां एक हाई पावर पार्लियामेंटरी डेलीगेशन भेजिए जो कि बिहार की समग्र स्थिति का अध्ययन करे और उसके लिए होम मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उनके हाथ का विषय है, सी०बी०आई० इंक्वायरी इनके हाथ का नहीं है परंपरा के अनुसार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे सब मित्र जो यहां हाऊस में बैठे हैं, बिहार के विषाक्त वातावरण को शान्त करने के लायक बनाने के लिए सब मिलजुल कर प्रयास करें। यही मेरी अन्तिम रूप से करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री रफीक आलम (बिहार): मैडम, इस स्टेटमेंट से जाहिर है कि बिहार सरकार ने बिल्कुल कंसपिरेसी करके इनको मारा है। यहां इसमें लिखा है कि—

"Shri Arun Yadav was standing in front of the Anchal Adhikari's room with a double barrel gun."

अब बताइए, आखिर अंचल अधिकारी के रूम के सामने एक आदमी डबल बेरलगन लेकर खड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? पहले से प्लानिंग की हुई थी। उस बेचारे को खबर दी गई कि एस०डी०ओ० बुला रहे हैं। वह आए और उसके बाद उनको मारा गया। यह बिल्कुल क्रिमिनल कंसपिरेसी है लालू गवर्नमेंट की। इसलिए इस कंसपिरेसी के तहत यह मारे गए हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी करें कि अरूण यादव जो हैं, वह क्रिमिनल है भी या नहीं?

उपसभापति: अब जरा मंत्री जी पर थोड़ी दया भी करिए, उनको अभी दूसरे का भी जवाब देना है।

श्री रफीक आलम: दया तो इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों की भी जान खतरे में है। हमारी, एम०पी०, एम०एल०ए०, सबकी जान खतरे में है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो शायद लालू को कभी का हटा दिया जाता, लेकिन पता नहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है? वहां इंसानों को जानवरों की तरह कत्ल किया जाता है। बारा विलेज के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि वहां 37 आदमी बिल्कुल कत्ल कर दिए गए। अब एम०एल०ए० को मार दिया गया। आखिर बचेगा कौन? एक लालू बचेगा।.....**(व्यवधान)**.....

उपसभापति: भागलपुर में भी यही हुआ है।

श्री रफीक आलम: इसलिए सरकार को चाहिए कि इस बारे में सख्त कदम उठाए और इस गंदगी को दूर करे, जो कि बिहार में है।

उपसभापति: आप भी कुछ इस विषय में बोलेंगे, जयपाल जी?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Yes.

Madam, at the outset I would like to associate myself completely with the touching concern expressed by various members about the gruesome murder of the MLA and also about the law and order situation in Bihar. I was particularly moved by the intervention of the seniormost lady Member, Mrs. Pratibha Singh. I respect her sentiments. I do not want to go into facts or merits of the statement for the very simple reason that I do not know about them. Members from Bihar who may have their own information could, therefore, put their questions, but I cannot see how any Minister for Home Affairs here would be able to answer these questions.

Mr. Digvijay Singh was rightly referring to it as an exercise in futility. I share his perception. I am afraid we are misutilising this forum. Ours is, no doubt, a Council of States. We are supposed to protect the rights of States. I am not saying that we should not discuss some negative developments in the States, but what happened in this case cannot be seen in isolation. That was the point I was trying to make earlier also.

Mr. Ram Awadhesh Singh did try to put the problem in perspective. Of the whole list of VIPs who got killed in the last so many years starting from Lalit Narain Mishra include Sita Ram Mishra, Mansoor khan, Ram Nageena Singh, Bir Bahadur Singh, Jagdev Prasad, Vir Mohabiya, Ram Dev Singh, Triloki Harizan, Vinod Singh, Nirmal Mahto there are many more names.

One District Collector, Mr. M.P. Sharma was killed in his own office when Dr. Mishra was the Chief Minister of Bihar. I don't blame Dr. Mishra for what happened. One has to take socio-economic-political situation in Bihar into view. Mr. Kali Pandey who was an accused in that case was given ticket by

the Congress (I). I am not blaming Congress (I) alone. I think all political parties, as Mr. Ashwani Kumar was rightly emphasising, should rise to the occasion, search our souls and see how politics could be decriminalised. These incidents should provoke all of us into introspection. There is no point in trying to score debating points. For example, you see this particular village in Vaishali district, the Magistrate of Vaishali could alone inquire into it.

I am told that the record of late slain Legislator is not all that clean. He was himself facing a murder trial and he was on bail. I am not, therefore, saying that the charge against him was correct. These are all matters which fall in the grey area. I do not know how we could rush to conclusions.

I would like to say only one thing. You see all kinds of statements are attributed to the Chief Minister of Bihar, Mr. Laloo Prasad Yadav. Mr. Ashwani Kumar—I consider him to be a very sober man—has also just now attributed some strange statement to Laloo Yadav. Even Mrs. Pratibha Singhji attributed another outrageous statement to Mr. Laloo Prasad Yadav. In the past also many outrageous statements were attributed to Mr. Laloo Prasad Yadav in this House. Whenever I had an occasion, I cross-checked these with Mr. Laloo Yadav. He denied them. His denials appeared in the press but the canards continued. One sees a pattern in this campaign of calumny and slander. You may see that criminals belong to all castes.

I come from Andhra Pradesh. I am not referring to the Naxalite area. I referred to that problem the other day. Let me refer to Rayalaseema which is not infested by Naxalite problem. You cannot contest elections in Rayalaseema region, which was absolutely free when I became an MLA, way back in 1969 on the Congress ticket when Mr. Nijalingappa was the President. Raayalaseema was absolutely a civilised place. Today even I cannot dare to go and file my nomination paper there. So this is a problem spreading to every part of the country. Why are we all training our guns on one Chief Minister, Mr. Laloo Prasad Yadav? If you think that by throwing out Mr. Laloo Prasad Yadav, you would be serving the cause of decriminalisation in the country, I won't object to that. If that would improve the law and order situation, I would not stand in your way. You can always do that. I Know you have done it in the past. You can do it in future also. I am not trying to warn you against this. But what I am trying to say is, don't train all your guns at Mr. Laloo Prasad Yadav.

I belong to an upper caste. But I have always believed in pro-Mandal Philosophy. Let me tell you, that people are under the impression that since Mr. Laloo Prasad Yadav belongs to a backward caste, intelligentsia, academia and media cutting across party lines, cutting across political lines are organising an orchestrated campaign against Mr. Laloo Prasad Yadav....(*Interruptions*)....

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI S. JAIPAL REDDY: That is the impression. I am not saying it is true.

श्री राम नरेश यादव: जयपाल रेड्डी जी, अगर यील्ड करें तो ... **(व्यवधान)**

उपसभापति: बोल लेने दीजिए। अभी आरग्यूमेंट नहीं चलेगा। उनका अपना जो प्वाइंट है बोलने दीजिए। उनका प्वाइंट वे बोल रहे हैं, आपका प्वाइंट आपने बोल दिया।

श्री राम नरेश यादव: किसी भी प्रदेश में जहां कहीं भी इस तरह की घटना हुई है। इस सदन में किसी न किसी सम्मानीय सदस्य ने उसे उठाया है और निंदा की है। उसके बारे में बयान लाए हैं इसका मतलब यह नहीं कि अगर बिहार में हो गया तो वह सवाल यहां पर नहीं आना चाहिए। आपके बयान से ऐसा परिलक्षित हो रहा है। अगर बिहार के बारे में बात होती तो यह बात समझ में आती। कोई प्रदेश का कोना नहीं है। चाहे हमारी सरकार हो, चाहे दूसरे की सरकार हो जब भी कोई घटना होती है, सदन में यह बात उठाई जाती है।

उपसभापति: वह मना नहीं कर रहे हैं। आपके साथ हैं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am only alluding to the limitations of such an exercise in this House. I know there are no pressmen. I am not interested in going to the people, in going to the town, on this. The point that I am trying to make is that this exercise is counter-productive even from the political view-point of Congress (I).

Madam, I do not want to add anything more. But I would like to draw a substantive distinction between the Ayodhya Problem, with due regards to my senior colleague Mr. Ashwani Kumar, and a law and order incident in any part of the country. There is a difference. Mr. Ahluwaliaji, I would like you to listen. I am going on record and I am not speaking for the Press, for, there is no Press Listening to me. There is a substantive difference, a fundamental, qualitative, difference between the Ayodhya issue and some law and order incident in any part of the country because what happens in Ayodhya will have nation-wide repercussions. For good or ill, it would affect the foundations of national unity and it would immediately affect our Constitution. Therefore, let not the BJP rush to the conclusion of drawing a parallel between the killing of a young MLA and a big national issue like the Ayodhya one. I will conclude now.

I will only request the Home Minister not to yield to the pressure of the moment but view the problem in perspective. When the Chief Minister has offered to organise a judicial inquiry, that will suffice. I do not know how the Central Government can order a CBI inquiry without a request from the State Government. It is not legally possible.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why are you not accepting a CBI inquiry? *(Interruptions)*

SHRI S. JAIPAL REDDY: Who am I to accept? *(Interruptions)* I am speaking for myself.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have my fears about the Minister because he has been busy the whole day and he might have slept very late last night because he got telephone calls. He has to appear in the Lok Sabha also on Monday. We may not be there on Monday here. Please have mercy on him, if not on anybody else. He looks so tired. *(Interruptions)*

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैडम, खाली कह दें सी०बी०आई० इंक्वायरी करा रहे हैं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हमें और जवाब नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए नहीं और।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: खाली सी०बी०आई० इंक्वायरी, और कोई जवाब नहीं चाहिए?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. He looks very tired and he has to deal with some other things. So, now, please allow him to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): Madam, I am thankful to all the Members who have participated in the debate. I do not want to repeat every point that was made by hon. Members. Many points were repeated by hon. Members. Mr. Ahluwalia, Mr. Ram Naresh Yadav, Mr. Ram Awadhesh Singh, Shrimati Pratibha Singh, Mr. Rafique Alam, Mr. Jaipal Reddy, Mr. R.R. Sahu, Mr. Digvijay Singh, Mr. Mohammed Afazal and Mr. Ashwani Kumar participated in the debate. *(Interruptions)*

Almost all of them expressed their anguish over the brutal killing of an MLA and that too of a person known to us, the son of a former Minister in our own Government. I also share the feelings of the House and the hon. Members in this connection. But, Madam, one of the main points which came up here is why should we come out with a statement based on the report of the State Government. Why not we have our own statement made irrespective of the State Government? Madam, it is almost a practice and convention that in areas where we do not have our own investigative mechanism, we rely on the State Government. It does not mean that we do not have any information through other sources. But the authentic information is only after an investigative machinery has gone into the incident and found out the truth of it. Here, in this case, as in other cases, the Government of India rely on the authentic report of a State Government. In this particular incident also, we tried to get the State Government's version as early as possible. In spite of several messages, we found it was not coming. I am not blaming the Bihar Government or the Chief Minsiter. But I am narrating a true fact of the situation. Then, the Home Minister, Mr. S.B.Chavan, himself telephoned the Chief Minister and he

came over to this House and said, "he is not available. I am trying for one and-a-half hours." Well, he came and reported the matter to the House. *(Interruptions)*.

SHRI S. JAIPAL REDDY: He said, his phone was not....*(Interruptions)*

SHRI M.M. JACOB: His phone was there but he was not available. But we could not say. The present arrangement of the telephone does not reveal who are the people sitting on the other side. We are not able to know whether the person is there or not. We were told that he was not available. So, we got the information subsequently and we were prepared to come yesterday itself to the House to make a statement. Yesterday, I made a statement in Lok Sabha and we were not able to get time to make a statement here. Though we were ready with the statement and the notice was given, we were not able to make it. I am sorry for not making it yesterday itself in this House. But we should make every effort every time to see that an identical statement is made in both the Houses on the same day itself.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But if it is demanded first in Rajya Sabha, it should be made first in Rajya Sabha.

SHRI M.M. JACOB: I agree, Madam. But most of the demands are simultaneous. Most of the demands are coming out of Zero Hour and simultaneously in both the Houses. *(Interruptions)* Madam, I made it very clear in the beginning that this is a statement based on the report of the Bihar Government. I made it categorically clear. I myself find some missing links here and there. I do not deny anything furnished by them because it is unfair on my part to deny something. But there are missing Links. I myself ask the question, how a person can come there and stand with a double-barrel gun much earlier in front of the room of the *Adhikari*?

डॉ॰ रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): हाउस ने डिमांड किया है सी॰ बी॰ आई॰ इंक्वायरी गवर्नमेंट बैठाएगी कि नहीं? इसका एक लाईन में आनसर दे दीजिए।

SHRI M.M. JACOB: I know the hurry. But I have to answer certain things which were raised here because different Members want different clarifications and it is my duty to reply to them whether it is midnight or not. I am bound to be here as far as possible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not worried now because we have already met the constitutional requirment before the midnight. So, we can sit till tomorrow.

SHRI M.M. JACOB: Thank you, Madam.

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, we have to ask clarifications.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been late now. You can ask clarifications tomorrow.

SHRI M.M. JACOB: So, one of the major points which I want to make is that we will be able to come before the House with full facts when we get an investigation done by any agency into the killing. We wanted the Bihar Government to conduct an investigation, an independent investigation, a judicial enquiry. Even now we are not getting any information whether a judicial enquiry has been ordered or not. I have not succeeded in getting the information.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, इतनी दयनीय स्थिति है कि स्वराष्ट्र मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें फेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या उम्मीद कर सकते है कि सदन ने जो मांग की है उसके लिए न्याय मिलेगा? इसलिए हम सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं। यह इस पर क्यों नहीं आ रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

SHRI M.M. JACOB: Allow me to complete. Madam, in another situation, which is more serious in the sense more people were killed, in the Bara incident, I myself have visited the place; I have seen the report of the Bihar Government; I myself have brought the report. I know there are missing links. I am not telling anything beyond that. The missing links are there. I am not happy with the missing links. It is the duty of every State Government to see that the truth is furnished before the Parliament and this is the Council of States. We would appreciate the truth every time coming before the House when we ask for certain information. Perhaps the Bihar Government may also furnish the additional information which we have

asked for in due course. I expect that more information will be forthcoming. Whatever the hon. Members raised in this House this evening will certainly be communicated to the Bihar Government and I will certainly try to get as much information as possible. The scenario in Bihar—I also mentioned it towards the end of my statement—is not at all happy. Mr. Jaipal Reddy was saying about the criminalisation of politics. The condition exists. Criminalisation is going to ruin the State.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Ruin the country.

SHRI M.M. JACOB: It is true—and whoever is siding with this—that this is going to ruin the State. Firm steps will have to be taken; effective measures will have to be taken. There is no doubt about. We cannot allow a State to go out of gear. I rely on the Bihar Government to set things right. I don't want the Centre to go and correct it. It is the Bihar Government, a duly elected Government, which has to correct it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, what action are they going to take on this? Why are they not coming out? You give us that information, what action you are going to take. There is a total breakdown of law and order. What action are you going to take? What action have you already taken? He visited Bara. He knew everything about Bara. But he never gave a statement to this House about Bara. *(Interruptions)*...

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Madam, it is a drama. *(Interruptions)*...

उपसभापति: बारह बजे से पहले बता दें।

SHRI M.M. JACOB: The problem arising out of caste war...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am very serious about it. *(Interruptions)*...I think he should finish it off. *(Interruptions)*...I have been asking him that he should tell us before 12 o'clock. *(Interruptions)*...Don't make irresponsible statement, Mr. Narayanasamy. You will have to substantiate your statement. *(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: The Chief Minister must own and shoulder the responsibility. *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is a different thing. But you should not make a statement which you cannot substantiate.

SHRI M.M. JACOB: One question raised here was about the cases registered and the details connected with them. Two cases have been registered. The first case is Garaul PS Case No.59/92, u/s 147/148/149/302/307/326/324 IPC/27(A) Arms Act—Complainant Mahabir Prasad Sahani. The second case is Garaul PS Case No.60/92, u/s 147/326/148/149/307/324/IPC/27 (A) Arms Act—complainant Satyendra Narayan Sinha. Two complaints are there. That means a case and a counter-case are there Madam, another thing is whether Garaul falls in Vaishali district or not. According to information furnished to us by the Bihar Government Garaul falls in Vaishali District.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why the District Magistrate of Muzaffarpur went for inquiry? Why did he go there? That is my question.*(Interruptions)*...

SHRI M.M. JACOB: That is to be found out. *(Interruptions)*.

AN HON. MEMBER: What about the arrests?

SHRI M.M. JACOB: So far there is no information about the arrest of anybody. The SP has announced the suspension of officer-in-charge of the Garaul Police Station. *(Interruptions)*... I have noted all the points mentioned by the Members. All the points are before me. Information is not forthcoming. I am trying to get information. Madam, the general mood, I found, is that they want a CBI inquiry to be conducted besides the judicial inquiry. As many Members are aware, this Government directly cannot go to any State and institute a CBI inquiry. For this, we have to get the permission of the State Government or the consent of the State Government to institute a CBI inquiry. *(Interruptions)*...

At this stage I can assure the House that I will take steps for exploring the possibility of conducting a CBI inquiry, if the truth and facts are not forthcoming immediately.

SHRI YASHWANT SINHA: There are press reports, Mr. Minister, in which

the Chief Minister of Bihar himself has offered that he is ready for inquiry by any agency of the Central Government. So, there should not be any difficulty in ordering a CBI inquiry.

SHRI M.M. JACOB: If there is no technical objection, as I just mentioned, we will not hesitate to go for a CBI inquiry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How can Parliament become an inquiring agency everywhere?

SHRI M.M. JACOB: I think, I have covered all the points mentioned by the Members. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up clarifications on the President's rule in Nagaland.

CLARIFICATIONS ON STATEMENT RE: PRESIDENT'S RULE IN NAGALAND.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Though there is nobody to report, we still need to protest. I don't know under what circumstances this Government took the decision to impose President's rule in Nagaland. In Nagaland, the Governor dissolved the Assembly and allowed the Chief Minister, Mr. Vamuzo to continue as the caretaker Chief Minister. When he recommended dissolution of the Assembly of Nagaland he was the Chief Minister. His majority was not questioned. If his majority was questioned then it would have been a different matter. The Rajya Sabha election took place there. The nominee of the ruling party in Nagaland won. It shows once again that that party had majority when the Chief Minister recommended dissolution. After the Assembly was dissolved, after the Chief Minister who had majority and who had recommended dissolution of the Assembly was allowed to continue as the caretaker Chief Minister, where was the need to impose President's rule? I am not really bothered about the electoral outcome in the small State, Nagaland. That is not going to alter the destiny of this vast country. But we often tend to forget in our partisan misguided over-enthusiasm that Nagaland is a part of north-east. It is a very sensitive State. The provisions of the Constitution which confer vast discretionary powers on the Central Government should never be misutilised for narrow nefarious purposes. This could lead to bigger problems in that part of the country. This is how you have always tried to alienate the people in various parts of this country. You have been responsible as a party in alienating people in various parts of the country. Now that you have got a dubious majority in the Lok Sabha you are back to your old ways of destablising Governments with a vengeance. I am amazed. I am astounded. While the Parliament was in session, quietly, on the 2nd of this month you issued a proclamation. This is atrocious. Only yesterday the Prime Minister was saying that the Congress (I) has now suddenly developed a new respect for institutions like that of Governors and they have not been changed. We were duly impressed. Why was the opinion of the Governor not obtained before imposing President's rule in Nagaland? Did you obtain the opinion of the Governor? On what basis did you do it? The Governor, under Article 174, is not always obliged to consult the Government of India. This is a Constitutional provision. I think for the first time, to the best of my memory and knowledge, the Government of India has taken a step in supersession of the power exercised by the Governor in the State. I do not know apart from this action being outrageously immoral and improper, as to whether it is also legal. I challenge the legality of this action. I do not know how far our courts can go into this question. But I can only say this, that it was certainly unwise not only from the party's angle but from the country's angle itself. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, do you want to ask something?

SHRI V. NARAYANASAMY: I have been raising this issue for the last one week, Madam. . .

SHRI DIGVIJAY SINGH: The Government has taken a stand and you are opposing it. . .

SHRI V. NARAYANASAMY: I support the Government on the statement, but I have to ask a few things. You have got time to hear Mr. Jaipal Reddy, but not Mr. Narayanasamy. . .